क्रम-संख्या—232

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर, 2024
पौष 5, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग—1

संख्या 497 / 79-वि-1—2024-1-क-30-2024
लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे खेल अनुभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2021 की धारा 12 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 12 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रख्यात क्रीड़ा प्रशासक या प्रख्यात क्रीड़ा व्यक्तित्व।"

धारा 49 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 49 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"49—धारा 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति की नियुक्ति, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र अनधिक तीन वर्ष के लिए तथा संतोषजनक सेवा पाये जाने पर जिसे दो वर्ष तक विस्तारित भी किया जा सकेगा, राज्य सरकार द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, की जायेगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2024

4—(1) उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य में एक सम्बद्धताकारी तथा अध्यापन क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक, मामलों का उपबंध करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2021) अधिनियमित किया गया है।

यह आवश्यकता अनुभव किया गया कि कोई प्रख्यात क्रीड़ा प्रशासक या कोई प्रख्यात क्रीड़ा व्यक्तित्व कुलपति की नियुक्ति हेतु गठित समिति का एक सदस्य होगा और पूर्वोक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम कुलपति की नियुक्ति के लिये समय–सीमा बढ़ाये जाने का उपबंध भी करेगा।

उपर्युक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 3 के खण्ड (ग) और धारा 49 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 497(2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-30-2024

Dated Lucknow, December 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Kreeda Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2024. The Khel Anubhag is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE SPORTS UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. Act No. 22 of 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Sports Universities Act, 2021.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Sports Universities (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in this behalf, appoint.

Amendment of section 12 of UP Act no. 8 of 2021

2. In the Uttar Pradesh State Sports University Act, 2021, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (c) of sub-section (3) of section 12, the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(c) One member, shall be renowned sports administrator or a renowned sports personality to be nominated by the State Government."

Amendment of section 49

3. *For* section 49 of the Principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :–

"49. Notwithstanding anything contained in section 12, the first Vice-Chancellor shall be appointed, as soon as may be, after the coming into force of this Act, by the State Government for a term not exceeding three years and may be extended by two years on satisfactory service on such terms and conditions as it may deem fit."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 21 of 2024

4. (1) The Uttar Pradesh State Sports University (Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Sports University Act, 2021 (U.P. Act no.8 of 2021) has been enacted to provide for the establishment of an affiliating and teaching University of Sports in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

A need has been felt that a renowned sports administrator or a renowned sports personality shall also be a member of the committee constituted for the appointment of Vice Chancellor and to make a provision for extending the time limit for appointment of first Vice Chancellor after the commencement of the aforesaid Act. In view of the above it was decided to amend clause (c) of sub-section 3 of section 12 and section 49 of the aforesaid Act .

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Sports University (Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance No.21 of 2024) was promulgated by the Governor on December 06, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 396 राजपत्र–2024–(1077)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 175 सा0 विधायी–2024–(1078)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

396_RPH_2024_(Krida University)- Data-7E